ज्ञानगंगा घरोघरी

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय
नासिक – 422 222

मानविकी तथा समाजविज्ञान संकाय

स्नातकोत्तर (एम. ए.) हिंदी M51
सूचना विवरणिका

शैक्षिक वर्ष 2021-22

एम. ए. हिंदी (M51)
सूचना विवरणिका

अनुक्रम

1.	संकाय का परिचय ।	4
2.	शिक्षाक्रम के संदर्भ में ।	5
3.	पंजीकरण प्रक्रिया ।	9
4.	क्षेत्रीय – केंद्र ।	11
5.	विशेष सूचना / संपर्क के लिए ।	12
परिशिष्ट		14-27

Appendix 1 : उम्मीदवार / छात्र करार ।
Candidate / Student Agreement at the time of Admission

Appendix 2 : गरीब छात्र सहायता योजना नियमावली ।

Appendix 3 : University Grant Commission Resolution (2004)
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संकल्प (2004) ।

Appendix 4 : G. R. of Equivalency for 10^{th} and 12^{th}
जी. आर. ऑफ इक्वालेन्सी कक्षा 10 वीं और 12 वीं के लिए ।

Appendix 5 : एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश ।

Appendix 6 : G. R. of Equivalency जी. आर. के समकक्ष ।

Appendix 7 : letter of Recognition from UGC

Appendix 8 : छात्र सहायता और छात्र कल्याण योजना ।

विद्यापीठ गीत

एक प्रतिज्ञा असे आमुची ज्ञानाची साधना ।
चिरंतन ज्ञानाची साधना।
ज्ञान हेच संजीवन साऱ्या जगताच्या जीवना ॥ धृ ॥

ज्योत जागवू सुजाणतेची सकलांच्या अंतरी ।
तीच निवारील पटलतमाचे प्रभात सूर्यापरी ।
ज्ञानच देउळ, ज्ञानच दैवत, प्रगतीच्या पूजना ।। १ ।।

नव्या युगाचा नव्या जगाचा ज्ञान धर्म आहे ।
त्यातच अमुच्या उजळ उद्याचे आश्वासन राहे ।
मुक्त करिल तो परंपरेच्या बंदिघरातुन मना ॥ २ ॥

हाच मंत्र नेईल आम्हाला दिव्य भविष्याकडे ।
न्यायनीतीचे पाऊल जिथे भेदाशी ना अडे ।
जे जे मंगल पावन त्याची जेथे आराधना ।। ३ ।।

- **कुसुमाग्रज**

निर्मिति

श्री. आनंद यादव, निर्मिति अधिकारी, ग्रंथनिर्मिति केंद्र
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक 422 222

© 2021, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नाशिक

- **प्रथम प्रकाशन** : अगस्त 2021
- **प्रकाशक** : डॉ. दिनेश भोंडे कुलसचिव यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक – 422 222

AKOSIS NB_21_22_67

1. संकाय का परिचय

मानविकी और समाजविज्ञान संकाय मानवनिर्मित कला और साहित्य के रचनात्मक प्रयासों और परिवार से राज्य तक विभिन्न संस्थानों की संरचनाओं, दर्शन और इतिहास परंपराओं का अध्ययन करता है। इस संकाय का उद्देश्य 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए बौद्धिक रूप तैयार करना और अध्ययनशील समुदाय के लिए शैक्षिक संसाधनों को विकसित करना है। संकाय में विभिन्न पाठ्यक्रमों की सामग्री मानवकेंद्रित होती है। मानवी मूल्यों और मानव विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करनेवाला आशय इस संकाय के पाठ्यक्रमों की विशेषता है।

संकाय की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है -

1. विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का, राष्ट्र – राज्यों के संरचना – निर्माण का, इतिहास, परंपराओं का स्नातक, स्नातकोत्तर, एम. फिल.और पीएच. डी. को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया हैं।
2. मानवाधिकार, स्वतंत्रता, समता, बंधुता आदि मूल्य, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि आंदोलन, सार्क, यूनो आदि वैश्विक कल्याण संगठनों के कार्य, महिला सशक्तीकरण, दलित अस्मिता की लडाई, भाषा, धर्म, क्षेत्रीय विभिन्नताओं में एकता के लिए रचे गए उदाहरण संगति जैसे पाठ्यक्रम में वैश्विकरण और स्थानीय विकास की विविध आशय – सूत्र का पाठ्यक्रम में समावेश है।
3. ग्रंथालय और सूचना विज्ञान, पत्रकारिता और जनसंचार, गांधी विचारदर्शन, मानवाधिकार, उपभोक्ता संरक्षण जैसे विशेष विषयों पर स्वतंत्र पाठ्यक्रम।
4. अनुप्रयुक्त पाठ्यक्रम जो सिद्धांत और व्यवहार को जोडते हैं।
5. अपरंपरागत पाठ्यक्रम जो व्यक्ति की सृजनशीलता और कल्पकशीलता का अवसर प्रदान करनेवाला ।
6. छात्रों के व्यक्तित्व विकास और व्यावसायिक सफलता के लिए पूरक कौशल प्रदान करनेवाला पाठ्यक्रम।
7. स्व-अध्ययन के लिए आवश्यक नवीनतापूर्ण कौशल की शिक्षा।
8. बुनियादी पाठ्यक्रम में विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने पर जोर।
9. विभिन्न माध्यामों जैसे – स्वयं अध्ययन पुस्तक, स्वाध्याय, क्षेत्रीय कार्य, परियोजना अध्ययन, उपग्रह सेवा और वेब माध्यम से छात्रों को शैक्षिक सहायता।
10. सभी पाठ्यक्रमों में विकल्प जिन्हें अपनी पसंद के अनुसार चुना जा सकता है।

2. पाठ्यक्रम के संदर्भ में

विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों और समाज के अन्य वर्गों से लगातार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग थी। इसलिए स्नातकोत्तर हिंदी (एम.ए.) पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है।

2.1 पाठ्यक्रम संरचना

स्नातकोत्तर प्रथम तथा द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम न्यूनतम दो साल की अवधि का है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने की अधिकतम अवधि पाँच वर्ष होगी। प्रत्येक पाठ्यक्रम को चार सत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सत्र में 04 पाठ्यक्रम है। इसलिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में 04 ग्रेड है। इसप्रकार कुल 64 ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर स्तर पर दो साल का पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए 04 सत्रों में कुल 16 पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना आवश्यक है। प्रत्येक सत्र में सभी अनिवार्य पाठ्यक्रम होंगे।

2.2 अवधि

2 वर्ष (कुल चार सत्र)

2.3 माध्यम

हिंदी

2.4 ग्रेड क्या है ?

मुक्त शिक्षा प्रणाली में अध्ययन के घंटों को 'ग्रेड' के रूप में मापा जाता है। इसका मतलब है कि लगभग 30-35 अध्ययन घंटों का अध्ययन 1 ग्रेड है । आमतौर पर छात्रों को एक ग्रेड का अध्ययन करने के लिए 30-35 घंटे लगते हैं। अध्ययन के घंटों में स्वयं अध्ययन पुस्तकें पढना, नोट्स लेना,ध्यान लगाना, इंटरनेट पर लिखित सामग्री पढना, निर्देशात्मक सत्र लेना, सहपाठियों के साथ चर्चा करना, प्रश्न और उत्तर लिखना आदि बहुत कुछ शामिल है। स्नातकोत्तर परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के लिए कुछ 64 ग्रेड पूरे करने की उम्मीद है।

2.5 प्रवेश योग्यता

किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के किसी भी संकाय में स्नातक उत्तीर्ण करनेवाले छात्र स्नातकोत्तर हिंदी शिक्षाक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

2.6 पाठ्यक्रम शुल्क (प्रथम वर्ष)

विश्वविद्यालय शुल्क	रु 3,000 = 00
अध्ययन केंद्र शुल्क	रु 2,000 = 00
कुल शुल्क	रु 5,000 = 00

पाठ्यक्रम शुल्क का विवरण

अनु. क्र.	शुल्क का शीर्षक	शुल्क
1	प्रवेश और पंजीकरण शुल्क	100 = 00
2	शैक्षिक शुल्क	1,800 = 00
3	परीक्षा (आंतरिक/अंतिम) शुल्क	800= 00
4	विविध	150= 00
5	विकास निधि	150= 00
6	अध्ययन केंद्र शुल्क	2,000 = 00
	कुल शुल्क	5,000 = 00

पाठ्यक्रम शुल्क की जानकारी

ऑनलाइन प्रवेश करते समय छात्र केवल विश्वविद्यालय शुल्क 3,000 का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग या अन्य मानक ऑनलाइन नकद स्थानांतरण प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। ऑनलाइन भुगतान किए गये शुल्क का ट्रांजेक्शन नंबर नोट कर लें और रसीद की प्रिंट लें और प्रवेश पत्र के प्रिंट के साथ संलग्न कर अध्ययन केंद्र में जमा करें।

अध्ययन केंद्र में प्रवेश आवेदन की प्रिंट प्रति जमा करते समय भुगतान किया गया पाठ्यक्रम शुल्क राशि 3,000/- रु. है, हालांकि अध्ययन केंद्र के बैंक खाते में चालान से अथवा क्रॉस अकाउंट पेयी चेक का भुगतान करके अध्ययन केंद्र द्वारा निर्धारित आधिकारिक पद्धति द्वारा जमा कर रसीद लेकर पाठ्यक्रम पूरा होने तक एक अलग फाईल में रखा जाना चाहिए।

- इस तरह आपको प्रवेश प्रक्रिया का पालन कर अपने प्रवेश की पुष्टि करनी होगी और दिए गए मोबाइल नंबर पर अपने प्रवेश के संदेश की प्रतीक्षा करनी होगी। साथ ही, अपने पंजीकरण नंबर की भी पुष्टि करनी होगी। आपका प्रवेश निश्चित हुआ अथवा क्या स्थिति है इस संदर्भ में चुने हुए अध्ययन केंद्र से आप स्थायी रूप से संपर्क बनाए रखें।

2.7 एम.ए. हिंदी प्रथम वर्ष - प्रथम सत्र

पाठ्यक्रम कोड	पाठ्यक्रम का नाम	प्रश्नपत्र का नाम
HIN101	हिंदी साहित्य का इतिहास (आदिकाल,भक्तिकाल और रीतिकाल)	1 हिंदी साहित्येतिहास की लेखन परंपरा
		2 हिंदी साहित्य – आदिकाल
		3 हिंदि साहित्य – भक्तिकाल
		4 हिंदी साहित्य – रीतिकाल
HIN102	कथासाहित्य	1 कहानी – उद्भव और विकास
		2 कहानी
		3 उपन्यास – उद्भव और विकास
		4 उपन्यास
HIN103	कथेत्तर गद्य साहित्य	1 हिंदी निबंध
		2 जीवनी और आत्मकथा
		3 रेखाचित्र और संस्मरण
		4 यात्रावृत्तांत और साक्षात्कार
HIN104	हिंदी साहित्य विविध विमर्श	1 विमर्श – संकल्पना और स्वरूप
		2 स्त्री विमर्श
		3 दलित विमर्श
		4 आदिवासी विमर्श

द्वितीय सत्र

HIN201	हिंदी साहित्य का इतिहास (आधुनिक काल)	1 आधुनिक काल की पृष्ठभूमि
		2 स्वतंत्रतापूर्व हिंदी साहित्य
		3 स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य (2000 तक)
		4 इक्कीसवीं सदी का हिंदी साहित्य
HIN202	भाषा विज्ञान	1 भाषा विज्ञान का स्वरूप और व्याप्ति
		2 भाषा परिवार
		3 भाषा विज्ञान – विविध अंग
		4 अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान
HIN203	आधुनिक काव्य	1 भारतेंदु और द्विवेदी युग
		2 छायावादी और प्रगतिवादी काव्य
		3 प्रयोगवाद और नई कविता
		4 साठोत्तरी हिंदी कविता

HIN204	राजभाषा हिंदी	1 संवैधानिक प्रावधान
		2 कार्यालयीन हिंदी
		3 आलेखन और टिप्पण
		4 प्रशासनिक शब्दावली

2.8 मूल्यांकन प्रक्रिया

छात्रों का मूल्यांकन दो स्तरों पर किया जाता है। अर्थात आंतरिक मूल्यांकन और अंतिम परीक्षा। अनुपात 80 : 20 प्रति पाठ्यक्रम होगा।

आंतरिक मूल्यांकन

आंतरिक मूल्यांकन प्रत्येक सत्र के पाठ्यक्रम के लिए 20 अंकों का गृहपाठ दिया जाएगा। प्रत्येक गृहपाठ में 5 अंकों के 4 प्रश्न होंगे। विश्वविद्यालय के मूल्यांकन और परीक्षा विभाग के माध्यम से गृहपाठ के प्रश्न विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.ycmou.ac.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्रों को अध्ययन केंद्र की सहायता से या स्वयं इसे डाऊनलोड करके गृहपाठ के प्रश्न लेने चाहिए। आपसे अध्ययन केंद्र के निरंतर संपर्क में रहने की उम्मीद है। जब विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर गृहपाठ के प्रश्न डाले जाएंगे और समय- समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर गृहपाठ के प्रश्नों को अपलोड किए जाएंगे। अध्ययन केंद्रों के लिए यह भी अनिवार्य है कि, वे गृहपाठ प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट लिखावट में लिखवाकर अंतीम परीक्षा शुरू होने से पहले उन्हें दिए गए समय के भीतर अध्ययन केंद्र में जमा करें। इसी प्रकार अध्ययन केंद्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे संबंधित समन्वयकों के साथ छात्रों के गृहपाठ की जल्द से जल्द जाँच करें और उपयुक्त सुझाव, टिप्पणी और प्रतिक्रिया दर्ज करके 20 में से अंक देकर छात्रों को अंतिम परीक्षा से पहले वापस कर दें। अध्ययन केंद्रों के लिए निर्धारित फॉर्म में छात्रों के गृहपाठ के लिए दी गई अंकों की सूची और निर्धारित समय के भीतर (अंतिम परीक्षा से पहले) विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को भेजना अनिवार्य है।

छात्र गृहपाठ में प्रत्येक पाठ्यक्रम में 20 % अंकों का भार (weigheage) होगा। साथ ही, प्रत्येक पाठ्यक्रम की अंतीम परीक्षा में 80 % अंकों का महत्त्व होगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम के आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम 40 % अंक आवश्यक होंगे। आंतरिक मूल्यांकन का अर्थ है कि,जिन छात्रों ने गृहपाठ पूरा कर लिया है, उनके आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को अंतिम परीक्षा मे प्राप्त अंकों के साथ मिलाया जाएगा। गृहपाठ पूरा करनेवाले छात्रों को अंतिम परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यास होगा और प्रत्येक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के लिए लाभप्रद होगा।

अंतिम परीक्षा

प्रत्येक सत्र मे प्रति पाठ्यक्रम 80 % अंकों की अंतिम परीक्षा होगी। प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रति सत्र चार पाठ्यक्रमों के लिए 80 अंकों का एक प्रश्नपत्र, ऐसे चार प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 5 अंकों के 5 उपप्रश्न होंगे। छात्रों को 80 में से प्राप्त अंक अलग से (युए) मार्कशीट में दिखाए जाएंगे।

प्रत्येक पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम के गृहपाठ के लिए 5 अंकों के 4 प्रश्नों में से प्रत्येक को हल करना होगा। आंतरिक मूल्यांकन के लिए प्रश्नों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाऊनलोड किया जाना है। अंतिम मूल्यांकन उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 40 % अंक अनिवार्य होंगे। आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत 20 मे से प्राप्त अंक अलग से (सीए) अंकतालिका में दिखाए जाएंगे। साथ ही, इन अंकों को अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ मिलाया जाएगा और अंकतालिका में एक साथ दिखाया जाएगा।

महत्वपूर्ण सूचना
प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वतंत्र उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40 % अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3. पंजीकरण प्रक्रिया

विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर (एम. ए.) हिंदी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन होती है। आपको निम्न निर्देशों का पालन करना होगा -

1. विवरणिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। आप शिक्षाक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्र हैं यह सुनिश्चित करें और प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कॅन की हुई प्रतियाँ प्राप्त करें।
   - अ) जन्मतिथि का प्रमाणपत्र (वाहन लायसन्स अथवा पैन कार्ड, जन्मतिथि दर्ज किया हुआ आधार कार्ड अथवा टी.सी. अथवा पासपोर्ट अथवा चुनाव कार्ड) इन में से एक।
   - आ) योग्यता परीक्षा का अंकतालिका-पत्र अथवा प्रमाणपत्र।
   - इ) यदि आप पिछडे वर्ग के उम्मीदवार हैं तो जाति प्रमाणपत्र/जाति सत्यापन / नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आदि।
   - ई) यदि आप विकलांग हैं तो दर्शानेवाले दस्तावेज (जैसे- दृष्टिहीन हैं तो इसे दर्शानेवाले प्रमाणपत्र)
2. आपको दस्तावेजों को कम से कम 72 डी पी आय के संकल्प के अनुसार सभी स्कैन करना आवश्यक है। इसके लिए आप अपने मित्रों अथवा अध्ययन केंद्र की सहायता ले सकते हैं ।
3. आपके पास एक मोबाइल नंबर और वैध ई मेल आयडी होना आवश्यक है। ईमेल आयडी प्राप्त करने के लिए आप gmail.com जैसी वेबसाईट पर भेंट कर मुफ्त ई मेल आयडी प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग आप पासवर्ड, प्रवेश की स्थिति आदि जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं।

4. आप विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं।

5. यदि आपके पास अपना बचत खाता नही हैं तो शून्य शेष राशि का डेबिटकार्ड अथवा नेट बैंकिंग सुविधा के साथ बचत खाता खोल सकते हैं। इन खातों में न्यूनतम राशि रखना अनिवार्य नही हैं ।

6. पंजीकरण प्रक्रिया के लिए इंटरनेट कनेक्शन वाले कम्प्यूटर की सेवा की आवश्यकता होती है, यदि आपके पास ऐसा कम्प्युटर नहीं है तो आप सायबर कैफे या किसी मित्र से उपलब्ध कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं ।

7. ऑनलाइन तरीके से प्रवेश कैसे प्राप्त करना है इस संदर्भ में स्क्रीन शॉट रूप मे एक पुस्तिका वेबसाइट पर और इस विवरणिका के अंत में उपलब्ध की गई है। इसका उपयोग करने से आपको ऑनलाइन आवेदन करने में आसानी होगी।

8. कंप्यूटर प्रणाली स्वचालित रूप से अध्ययन कर प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेजों का एक विवरण निर्धारित करती है कि आपने जो प्रक्रिया प्रस्तुत की है उसके अनुसार क्या दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं।

9. सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आप विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पद्धति (डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग) से करेंगे। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान गेटवे का उपयोग करके भुगतान करने का तरीका विवरणिका में उपलब्ध है।

13. यदि आप नकदी में शुल्क का भुगतान करना चाहते हैं तो आपको ई-चालान प्रिंट करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा कम्प्यूटर प्रणाली आपके द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार बनाती है। मुद्रा की छपाई की तारीख से दो कार्य दिनों के बाद आप इसे भारतीय स्टेट बैंक या विश्वविद्यालय द्वारा नामित राष्ट्रीयकृत बैंकों की चयनित शाखाओं में नकद जमा कर सकते हैं। नकद जमा होने के बाद बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर, मुद्रा (सील), ट्रांजेक्शन संख्या सुपाठ्य अक्षरों में लिखी गई है यह सुनिश्चित करें।

14. आप अपना ट्रांजेक्शन नंबर अपने विश्वविद्यालय आयडी पर लाग इन कर प्रस्तुत कर सकते हैं ।

15. विश्वविद्यालय स्तर पर आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जाँच के बाद आपके प्रवेश की पुष्टि की जाएगी ।

16. ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया के लिए परिशिष्ट संख्या 1 देखें।

4. क्षेत्रीय केंद्र

1. **अमरावती** - य. च. म. मुक्त विश्वविद्यालय, वी.एम.वी तेवलगांव रोड, पोस्ट वी.एम.वी. अमरावती- 444 604
   दूरभाष : (0721) 2531 445 फैक्स : 2531444

2. **औरंगाबाद** - य. च. म. मुक्त विश्वविद्यालय का औरंगाबाद क्षेत्रीय केंद्र, सर्वे नंबर 41, सैनिकी छात्रावास की पूर्व में नंदनवन कॉलनी, छावनी औरंगाबाद – 431 002,
   दूरभाष : (0240) 2371077 / 2371066 फैक्स : (0240) 2371088

3. **मुंबई** - य. च. म. मुक्त विश्वविद्यालय का मुंबई क्षेत्रीय केंद्र, द्वारा : जगन्नाथ शंकर सेठ मनपा की मराठी पाठशाला, दूसरी मंजिल, फ्रेअर ब्रीज (साऊथ), नाना चौक ग्रांट रोड (प.) मुंबई – 400 007
   दूरभाष : (022) 23874186, 23874177, 23826135 फैक्स : 23813256

4. **नागपुर** - य. च. म. मुक्त विश्वविद्यालय का नागपुर क्षेत्रीय केंद्र, रावबहादुर डी., लक्ष्मीनारायण बंगला, विश्वविद्यालय क्रीडा क्षेत्र, लॉ कॉलेज कैम्पस, रविनगर चौक, नागपुर – 440 001
   दूरभाष : (0712) 2553724 फैक्स : 2553725

5. **नासिक** - य. च. म. मुक्त विश्वविद्यालय का नासिक क्षेत्रीय केंद्र, नासिक नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग दूसरी मंजिल, न्यू पंडित कॉलनी नासिक – 422 002
   दूरभाष : (0253) 2317063 फैक्स : 2576756

6. **पुणे** - य. च. म. मुक्त विश्वविद्यालय का पुणे क्षेत्रीय केंद्र, शाहीर अण्णाभाऊ साठे स्कूल हाउस नगर निगम पाठशाला नं. 5 (छात्र),654 सदाशिव पेठ हौजा के सामने, कुमठेकर मार्ग, पुणे – 411 030
   दूरभाष : (020) 24457914 फैक्स : 24491107

7. **कोल्हापुर** - य. च. म. मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र, शिवाजी विश्वविद्यालय कैंम्पस पोस्ट ऑफिस के पास, विद्यानगर कोल्हापुर – 416 004
   दूरभाष : (0231) 2607022 फॅक्स : 2607023

8. **नांदेड** - य. च. म. मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय के पास नांदेड – 421 606
   दूरभाष : (02462) 283038, 229940 फैक्स : 229950

5. विशेष निर्देश / संपर्क के लिए

(अ) प्रवेश - आवेदन भरने के निर्देश

1. प्रवेश- पत्र भरने से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरणिका पढें।
2. प्रवेश- पत्र में सभी जानकारी लिखें ।
3. विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पहचान - पत्र खो गया तो रु. 15 और अंकतालिका खो जाने पर रु. 50 (कुल अंकतालिका पत्र रु. 100/-) भरकर दूसरी प्रति मिलेगी। इसके लिए शुल्क के साथ-साथ अपना नाम, पंजीकरण संख्या, कक्षा, अध्ययन केंद्र का नाम और संकेतक भी बताना आवश्यक है । यह शुल्क डी.डी. द्वारा भेजा जाए। अंक तालिका के लिए रु. 50 अथवा रु. 100 के बॉंड पेपर पर एक शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

(आ) अध्ययन केंद्र के संबंध में सूचना

1. प्रवेश की अवधि समाप्त होने के उपरांत संपर्क - सत्र शुरू होने के संदर्भ में अध्ययन केंद्र पर जाकर समय सारणी देखें। पहचान - पत्र पर अध्ययन केंद्र के प्रमुख के हस्ताक्षर और मुहर चाहिए ।
2. अध्ययन केंद्र के संपर्क में रहना आपके हित में रहेगा।
3. विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार परीक्षा केंद्र पर अंतिम परीक्षा आयोजित की जाती है इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है ।
4. अध्ययन केंद्र पर विद्यार्थी संख्या अपूर्ण होने पर नजदीकी केंद्र पर संपर्क- सत्र और परीक्षा के लिए भेजा किया जाएगा।
5. प्रथम वर्ष में जिस नाम से प्रवेश लिया है उसी नाम से स्नातकोतर प्रमाणपत्र मिलेगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा।

(इ) विश्वविद्यालय का मुख्यालय

'ज्ञानगंगोत्री कैम्पस', गंगापुर बांध के पास, गोवर्धन, नासिक - 422 222

दूरभाष : (0253) 2231714, 2231715, 2230227

विश्व विद्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के समय निम्नानुसार हैं -

सुबह 10:00 से शाम 5:45 बजे तक

(दोपहर 1:30 – 2:00 तक अवकाश)

रविवार, प्रत्येक माह का पहला और तीसरा शनिवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन उपर्युक्त कार्यालय बंद रहेंगे।

विशेष समस्याओं के संबंध मे संपर्क

1. **प्रवेश पुस्तिका, प्रवेश आवेदन, अध्ययन केंद्र समस्याएं :**
   क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र।

2. **पाठ्यक्रम (विषय) संदर्भ की समस्याएं :**
   निदेशक, मानविकी एवं समाजविज्ञान संकाय
   दूरभाष - (0253) 2231475

3. **पंजीकरण, पंजीकरण संख्या, पते में परिवर्तन, केंद्र परिवर्तन :**
   निदेशक, छात्र सेवा विभाग दूरभाष : (0253)

4. **परीक्षा, परीक्षा आवेदन, परीक्षा संख्या, परिणाम, उपाधि प्रमाणपत्र आदि:**
   परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा विभाग
   दूरभाष – (0253) 2230716

5. **अध्ययन - साहित्य, पुस्तकें, कार्यपुस्तिकाएं आदि :**
   भंडार प्रबंधक, भंडार एवं आउटवर्ड कक्ष
   दूरभाष – (0253) 2230107

परिशिष्ट : 1 उम्मीदवार / छात्र करार

यह करार छात्र अथवा उम्मीदवार और यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय के बीच यह करार तब माना जाएगा जब छात्र / उम्मीदवार स्वीकार बटन पर क्लिक करते हैं और दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार और मान्य होते हैं। इस करार में ऐसे व्याक्तियों के लिए 'उम्मीदवार' शब्द का उपयोग किया गया है जो यचममुवि द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश करना चाहते है और ऐसे व्याक्तियों के लिए 'छात्र' शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसने निर्धारित पद्धति को अपनाकर यचममुवि के मध्यम से संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है।

उम्मीदवार यह स्वीकार तथा मान्य करता है कि,

1) उसने विवरणिका में उपलब्ध जानकारी के साथ-साथ कम्प्युटर पर उपलब्ध पाठ का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया है और उसके अनुसार उचित कार्यवाही है।

2) उसने यह सुनिश्चित किया है कि वह अपनी पसंद के पाठ्यक्रम के लिए पात्र है और यदि वह विवरणिका अथवा कम्प्यूटर के पटल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अपात्र है तो उसका प्रवेश तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और विश्वविद्यालय में उसके द्वारा दिया गया शुल्क अंशतः अथवा पूर्ण रूप से वापस नहीं मिलेगा ।

3) उसने विवरणिका की सबंधित जानकारी प्राप्त की है कि उसे अध्ययन सामग्री (पुस्तकें) किस रूप में (छपी हुई पुस्तकें, ई-बुक, मोबाईल दृश्य-श्राव्य टेप, सीडी, इंटरनेटपर उपलब्ध सामग्री) उपलब्ध होनेवाली है, इसकी जानकारी सूचना पुस्तिका के संबंधित भाग से प्राप्त की है और इस रूप में अध्ययन सामग्री उपलब्ध होनेवाली है इस बारे में उनका कोई आक्षेप नहीं और वे यह मांग नही करेंगे की कुछ अध्ययन सामग्री सूचना पुस्तिका मे दिए गए प्रारूप से भिन्न प्रारूप मे उपलब्ध हो।

4) यदि वह यचममुवि के संबंध में कोई शिकायत या विवरण देना चाहता है तो उसे कंप्यूटर प्रणाली का (यूजर आयडी) उपयोग ही करना होगा। ऐसी शिकायत अथवा आवेदन के द्वारा उत्पन्न कारणों की तिथि से 30 दिनों के भीतर कम्प्यूटर प्रणाली के उपयोग से ही करना होगा।

5) उसे यह स्वीकार है कि विश्वविद्यालय को नियमों नीतियों, अध्ययन सामग्री आदि में परिवर्तन करने का अधिकार है। ऐसे नियमो में परिवर्तन उसके लिए बध्याकारी होंगे और उसे इसके बारे में कोई शिकायत नही होगी।

6) पाठ्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय में पंजीकृत उसके मोबाइल नंबर में बदलाव नही किया जाएगा।

7) उसे यह स्वीकार है कि पंजीकरण के समय विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की गई जानकारी (फोटो, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, पता आदि) में परिवर्तन के लिए उचित शुल्क लेने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास है।

8) उसे यह स्वीकार है कि यदि विश्वविद्यालय को सरकार से अपना शुल्क प्राप्त नहीं होता है (छात्रवृत्ति छात्र के मामले में) तो ऐसे छात्रों को परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा और यदि परीक्षा दी गई है तो उसका परिणाम तब तक रोक रखा जाएगा जब तक विश्वविद्यालय को उसका शुल्क प्राप्त नहीं होता।

9) उसे इसकी कल्पना है कि उसने कोई भी असत्य, अपूर्ण जानकारी दी होगी तो उसका प्रवेश रद्द किया जाएगा और अगर उसे डिग्री अथवा डिप्लोमा से सम्मानित किया गया है, तो इस प्रकार असत्य, अपूर्ण जानकारी देने की बात सिद्ध होने पर उसकी डिग्री अथवा डिप्लोमा रद्द की जाएगा।

10) वह विश्वविद्यालय की वेबसाईट (ycmou.digitaluniversity.ac OR ycmou.ac.in) पर नियमित रूप से भेंट देगा, और वहां दिए गए शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक स्वरूप की सूचना (उदा. परीक्षा हॉल टिकिट डाउनलोड करना और उसकी प्रिंट करना) आदि का बारीकी से पालन करेगा।

11) वह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का अध्ययन अपेक्षित परिश्रम, अनुशासन और ईमानदारी के साथ करेगा, साथ ही, विश्वविद्यालय के एक योग्य छात्र की तरह व्यवहार करेगा और ऐसा कुछ भी नही करेगा जो विश्वविद्यालय की शिक्षा के अनुकूल नहीं होगा।

Candidate/Student Agreement at the time of Admission

This is an agreement between the student or candidate and the YCMOU which is entered into by virtue of the candidate for admission clicking on "ACCEPT" button on the online admission portal at the time of admission to a program using online admission process.

In this agreement the term "candidate" is used to mean the person who proposes to take admission to a program in YCMOU and the term "student" is used to mean a person who has been admitted to a program of the YCMOU after fulfilling all the conditions thereof.

The candidate undertakes that -

1. He has gone through the prospectus and the on-screen narrations or directions and has sincerely responded to the on-screen directions.
2. He has ensured that he is eligible to the program to which he proposes to take admission and that if it is found otherwise, (that is, if he is found not to be fulfilling the conditions of the eligibility at any time as per the rules mentioned in the prospectus or the on-line narrations) his admission will be summarily cancelled and the fees paid to the university will not be refunded in part or in full.
3. The information about the medium/mode of delivery of the Study Material (for example printed books, e-books, mobile app, audio/video material available on internet or through CD/DVD, etc) has been duly studied by him in the relevant pages of the prospectus and he has no objection to the said mode of delivery. He shall not make any demand on the methods or medium of delivery other than that mentioned in the prospectus.
4. He shall make any representations to the YCMOU by logging on as a student in respect of any activities of grievances within a period of thirty days from the date of cause of the grievances or by an email to the university at the designated e-mail address.
5. He understands that the University reserves right to make changes in the rules or syllabi or learning material or any other policy matter as a matter of urgency and that such changes in the rules, syllabi or policy matters shall be binding and applicable on him and that he shall not make objections to such changes

6. He shall not change his mobile number as registered with the University during the time of admission to the program.

7. He understands that the University shall levy charges on changes in profiles of the student, including the photograph, mobile number, date of birth, etc.

8. He understands that in case the University does not receive the fees from the Government (in case of Scholarship or Free-ship candidates), the student may be barred from taking examinations and his results shall not be declared till such time that the fees have been received.

9. He understands that any incorrect or incomplete information given by him is liable to cancellation of his admission or withdrawal of degree or diploma awarded to him as and when the university gets to know of such supply of incomplete or incorrect information.

10. He shall visit the University's website regularly (ycmou.digitaluniversity.ac and ycmou.ac.in) and undertake necessary steps for academic and administrative purposes as expected from him including downloading of the prospectus, e-books, assignment questions, examination hall ticket or any other relevant/necessary documents or materials and printing the same.

11. He shall undertake the studies of the academic program with necessary industry, discipline and honesty and conduct himself with due dignity and shall do nothing which is unbecoming of a student of the YCMOU.

परिशिष्ट 2 : गरीब छात्र सहायता योजना नियम

1. **नाम :** इस योजना को गरीब छात्र सहायता योजना कहा जाएगा।

2. **व्याप्ति**

2.1 यह गरीब छात्र सहायता योजना यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लागू होगी।

2.2 नेत्रहीन, विकलांग, बधिर एवं कम सुननेवाले छात्रों के लिए पूर्ण शुल्क, अंकों में छूट प्रबंधन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दी जाएगी।

2.3 यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए लागू होगी ।

3. **पात्रता मानदंड :**

3.1 गरीब छात्र सहायता योजना का लाभ पाने के लिए परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा रु. 1,00,000/- रहेगी।

3.2 तहसीलदार का मूल आय - प्रमाणपत्र पिछले वित्तीय वर्ष का होना चाहिए ।

3.3 इस योजना का लाभ देते समय संबंधित छात्र को पिछले शैक्षणिक वर्ष की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

3.4 गरीब छात्र सहायता योजना के अंतर्गत छात्र ने यदि पिछले साल लाभ लिया है तो छात्र सभी विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए।

3.5 जो छात्र योजना के लिए पात्र है उसे शैक्षणिक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण करना आवश्यक है, जिस के लिए उसे विश्वविद्यालय के एक मान्यताप्राप्त अध्ययन केंद्र से योजना का लाभ दिया गया है 1 यदि पाठ्यक्रम वर्ष पूर्ण होने से पहले किसी भी कारण से संबंधित छात्र का प्रवेश रद्द कर दिया जाता है, तो संबंधित क्षेत्र, अध्ययन केंद्र और संभागीय केंद्र की जिम्मेदारी होगी कि वह विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई राशि और प्रमाणपत्र वापस करें।

3.6 इस योजना का लाभ उन छात्रों को देय नहीं है जिन्होने राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है।

3.7 यह योजना रु. 3000/- से कम लागत वाले पाठ्यक्रम के लिए लागू नहीं है।

4. **योजना की अंक मानदंड विधि**

4.1 यदि छात्र शहरी क्षेत्र से है तो - 1 अंक।

4.2 यदि छात्र ग्रामीण क्षेत्र से है - 2 अंक।

4.3 यदि छात्र दूरुस्थ क्षेत्र से है तो - 3 अंक ।

4.4 अगर छात्र परियोजना प्रभावित है तो - 2 अंक ।

4.5 खिलाडी है (मंडल अथवा राज्यस्तर)- 4 अंक ।

4.6 आय सीमा रुपये 35,000/- तक - 3 अंक ।

4.7 आय सीमा रु. 70,000/- तक - 2 अंक ।

4.8 आय सीमा रु. 1,00,000/- तक - 1 अंक ।

5. स्वीकार्य राशि

इस योजना के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर और शिक्षा स्तर के लिए तय की गई लागत के आधार परस्वीकार्य राशि का निर्धारण किया जाएगा ।

5.1 डिप्लोमा पाठ्यक्रम रु. 3,000/- अथवा पाठ्यक्रम शुल्क इन में से जो भी कम हो।

5.2 डिग्री पाठ्यक्रम है तो रू. 5000/- या ट्यूशन शुल्क जो भी कम है वह ।

5.3 स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम रु. 5000/- अथवा पाठ्यक्रम शुल्क से जो भी कम हो ।

5.4 स्नातकोत्तर डिग्री रू. 7000/- अथवा पाठ्यक्रम शुल्क से जो भी कम हो ।

5.5 गरीब छात्र सहायता निधि योजना के लिए बजेटीय प्रावधान उस शैक्षणिक वर्ष मे आरक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा।

स्वीकार्य राशि उदाहरण सारिणी :

अनु. क्र.	न्यूनतम अंक	स्वीकार्य राशि प्रमाण	डिप्लोमा	स्नातक / स्नातकोत्तर डिप्लोमा	स्नातकोत्तर उपाधि
			रु 3000/-	रु 5000/-	रु 7000/-
1.	02	30	रु 900/-	रु 1500/-	रु 2100/-
2.	3 - 5	50	रु 1500/-	रु 2500/-	रु 3500/-
3.	6- और आगे	100	रु 3000/-	रु 5000/-	रु 7000/-

6. गरीब छात्र सहायता योजना के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की विधि

6.1 गरीब छात्र सहायता निधि योजना के निर्धारित प्रारूप में आवेदन निर्धारित समय के भीतर अध्ययन केंद्र में जमा करना आवश्यक होगा।

6.2 अध्ययन केंद्र अथवा समन्वयक के लिए छात्र द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाना अनिवार्य होगा।

6.3 छात्र के हस्ताक्षर और राष्ट्रीयकृत बैंक विवरण जैसे की बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, आयएफएससी कोड आवेदन पत्र में शपथपत्र पर दर्ज किया जाना चाहिए।

6.4 क्या पिछले वर्ष इस योजना का लाभ उठाने वाले छात्र ने पिछले वर्ष की अंक तालिका की झेरॉक्स कॉपी संलग्न की है ? क्या उन्होने पिछले वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है ? अध्ययन केंद्र के प्रमुख को यह देखना चाहिए ।

6.5 अध्ययन केंद्र के प्रमुख छात्रों से निर्धारित अवधि में भरवाकर क्षेत्रीय केंद्र में आवेदन जमा करें ।

6.6 अध्ययन केंद्र द्वारा संभागीय केंद्र को प्रस्तुत आवेदन की जांच उपर्युक्त मानदंड के आधार पर संभागीय केंद्र द्वारा करना चाहिए 1 विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए निर्धारित प्रारूप में जानकारी के साथ एक्सेल शीट में एक हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी भी बनाये।

6.7 शैक्षणिक वर्ष 2020 – 21 में प्रवेश के लिए हुए छात्रों को पिछले साल के नियमों के अनुसार गरीब छात्र सहायता प्रदान की जाएगी।

6.8 शैक्षणिक वर्ष 2020 - 21 से प्रवेश लेने वाले छात्रों को नए नियमों के आधार पर गरीब छात्र सहायता योजना की रकम अदा की जाएगी ।

6.9 प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अध्ययन केंद्रों द्वारा 15 अक्तूबर तक गरीब छात्र सहायता योजना के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए और क्षेत्रीय केंद्र 15 नवंबर तक आवेदन पत्र व सारिणी की जानकारी सहायक कुलसचिव, पंजीकरण कक्ष को प्रस्तुत करें।

6.10 पात्र छात्रों की अंतिम सूची जनवरी में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित की जाएगी।

परिशिष्ट 3 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संकल्प (2004)

University Grants Commission Resolution (2004)

{díd{dÚmb` AZwXmZ Am`moJ
~hmXwaemh Om\$a _mJ©
ZB© {Xëbr-110 002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110002

F1-52/2000(CPP-II) 5 MAY 2004

The Registrar / Director
Of all the Indian Universities
(Deemed, State, Central Universities /
Institutions of National importance)

Subject : Recognition of Degrees awarded by Open Universities.

Sir/Madam,

There are a number of open Universities in the country offering various degrees/diploma through the mode of non-formal education. **The Open Universities have been established in the country by an Act of Parliament or State Legislature in accordance with the provisions contained in Section 2(f) of University Grants Commission Act, 1956. These universities are, therefore, empowered to award degrees in terms of Section 22(1) of the UGC Act, 1956.**

A circular was earlier issued vide UGC letter N.F.1-8/92(CPP) dated February, 1992 mentioning that the Certificate, Diplomas and Degrees awarded by Indira Gandhi National Open University are to be treated equivalent to the corresponding awards of the Universities in the country.

Attention is further invited to UGC circular No.F1-25/93(CPP-II) dated 28th July, 1993 (copy enclosed) for recognition of degrees and diplomas as well as transfer of credit for courses successfully completed by students between the two types of universities so that the mobility of students from Open University stream to traditional Universities is ensured without any difficulty.

The UGC has specified the nomenclature of degrees under Section 22(3) of the UGC Act, 1956 to ensure mandatory requirements viz. minimum essential academic inputs required for awarding such degrees. A copy of Gazette Notification regarding specification of degrees issued vide No.1-52/97(CPP-II) dated 31st January 2004 is enclosed. The details are also given in UGC Web site : www.ugc.ac.in

May, I therefore request you to treat the Degrees / Diploma / Certificates awarded by the Open Universities in conformity with the UGC notification on Specification of Degrees as equivalent to the corresponding awards of the traditional Universities in the country.

Yours faithfully

(Dr. Mrs. Pankaj Mittal)
Joint Secretary

Encl. : As Above
Copy to :

1. The Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary Education and Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi-110001.
2. The Secretary, All Indian Council for Technical Education, I.G. Sports Complex, Indraprastha Estate, New Delhi
3. The Secretary, Association of Indian Universities (AIU), 16, Comrade Inderjit Gupta Marg, New Delhi -110002.
4. The Secretary, National Council for Teacher Education, I.G. Stadium, I. P. Estate, New Delhi-110002.
5. The Director of Distance Education Council, IGNOU Campus, Maidan Garhi, New Delhi-110068.
6. The Vice-Chancellor, Indira Gandhi National Open University, Maidan Garhi, New Delhi-110068.
7. The Vice-Chancellor, Dr. B. R. Ambedkar Open University, Road, No. 46, Jubilee Hills, Hyderabad (AP)
8. The Vice-Chancellor, Nalanda Open University, West Gandhi Maidan, Patna-800001 (Bihar)
9. The Vice-Chancellor, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Shahigaug, Ahmedabad-380003 (Gujarat)
10. The Vice-Chancellor, Karnataka State Open University, Manasagangotri, Mysore-570006 (Karnataka)
11. The Vice-Chancellor, Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nashik-422222 (Maharashtra)
12. The Vice-Chancellor, Kota Open University, Vardhaman Mahaveer Open University, Kota-324010 (Rajasthan)
13. The Vice-Chancellor, Netaji Subhash Open University, Kolkata-700020 (West Bengal)
14. The Vice-Chancellor, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal-462016 (M.P.)

(V.K. Jaiswal)
Under Secretary

परिशिष्ट 4 : जी.आर. ऑफ इक्वालेन्सी कक्षा 10वी और 12 वीं के लिए

G.R. of Equivalency for 10th and 12th

यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, नाशिक व
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था, नवी दिल्ली यांची
प्रमाणपत्रे शासनसेवेसाठी समकक्ष म्हणून विचारात घेण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : आरसीडी-१५११/प्र.क्र.८९/१३,
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०००३२
दिनांक : २० मे, २०११.

वाचा

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : आरसीडी-१३९८/प्र.क्र.६७/९८/१३, दिनांक १० डिसेंबर, १९९८.
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : आरसीडी-१३०५/प्र.क्र.२४/२००५/१३, दिनांक १२ डिसेंबर, २००६.

शासन निर्णय :

यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, नाशिक येथून प्राप्त केलेली शैक्षणिक अर्हता शासकीय सेवेतील नियुक्तीसाठी ग्राह्य धरण्याबाबत सर्वसाधारण सूचना निर्गमित करण्याचे निदेश मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी श्री. राजेंद्र घुगरीकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन (मूळ अर्ज क्र. ६७०/२००८) वर दिले आहेत. त्यावर, शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार यासंदर्भात खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

१. "ज्या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात १० वी/१२ वी (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) परीक्षा उत्तीर्ण असणे अशी किमान अर्हता विहित केलेली असेल त्या बाबतीत, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाची माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण नसलेला मात्र, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पदवी परीक्षेचे प्रथम वर्ष उत्तीर्ण झालेला वा यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातून पदवी धारण केलेला उमेदवार पात्र समजण्यात यावा."

२. बृहन्मुंबईतील लिपिक-टंकलेखक पदावरील नियुक्तीसाठी विहित करण्यात आलेल्या सेवाप्रवेश नियमातील २ (ड) मध्ये "महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाने नियंत्रित केलेली माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा आणि या परीक्षेस समकक्ष घोषित केलेल्या इतर परीक्षा अंतर्भूत असल्याचे नमूद केले आहे." तसेच, उमेदवारांकडे महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र असणेही आवश्यक आहे. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान, नवी दिल्ली या विद्यालयाची माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या एका उमेदवाराने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे दाखल केलेल्या प्रकरणात (मूळ अर्ज क्रमांक २०४/२०१०) राज्य शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत. केंद्र शासनाने कायद्यान्वये स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था, नवी दिल्ली (National Institution of Open Schooling, New Delhi) या विद्यालयाची माध्यमिक शालांत परीक्षा (किमान ५ विषयांसह) उत्तीर्ण केलेल्या उमेदवारांना शालेय शिक्षण विभागाने अकरावी प्रवेशासाठी पात्र ठरविले आहे. मात्र, शासन सेवेतील नियुक्तीसंदर्भात समकक्षतेबाबत कोणतेही आदेश नाहीत. केंद्रिय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सर्व राज्यांना, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था, नवी दिल्ली (National Institute of Open Schooling, New Delhi) यांच्याकडून दिली जाणारी प्रमाणपत्रे उच्च शिक्षण व नोकरीसाठी (Employment) ग्राह्य (समकक्ष) धरण्याबाबत कळविले आहे. ही बाब विचारात घेऊन, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत माध्यमिक शालांत परीक्षेबाबत दिलेले प्रमाणपत्र, माध्यमिक शालांत परीक्षा अशी अर्हता असलेल्या पदांवर नियुक्तीसाठी ग्राह्य धरण्याची बाब देखील शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यावर, शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार यासंदर्भात खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

"राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्था, नवी दिल्ली यांची (मराठी व इंग्रजीसह किमान ५ विषयांसह) शालांत परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व सदर प्रमाणपत्र (Secondary School Examination Certificate) धारण करणाऱ्या उमेदवारांनी, राज्य शासन सेवेमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण अशी अर्हता विहित केली असेल त्या त्या ठिकाणी शासन सेवेसाठी शालांत परीक्षा समकक्ष पात्रता आपोआप धारण केली आहे असे समजण्यात यावे."

३. त्यानुसार, सर्व नियुक्ती प्राधिकारी यांनी कार्यवाही करावी. हे आदेश या आदेशाच्या दिनांकापासून तात्काळ अंमलात येतील.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०११०५२०१३५११०४००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(बा. वि. निकम)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

परिशिष्ट 5 : एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश

DISTANCE EDUCATION COUNCIL
INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

15983-16229

F.No.DEC/Notification/40.5.1.5/2012
Dated:01.11.2012

NOTIFICATION

Sub: Policy on pursuing two or more programmes simultaneously in various combinations - regarding.

The Distance Education Council in its 40th meeting held on 08.06.2012 has decided on the policy on pursuing two or more programmes simultaneously in various combinations. Two degree programmes cannot be allowed to be pursued simultaneously. However, a student can pursue two programmes simultaneously through distance or combination of distance and regular modes from the same or different University(ies)/ Institution(s) in various combinations, viz.,

1. One Degree and one Diploma/Post Graduate Diploma/Certificate
2. One Post Graduate Diploma and one Diploma/Certificate
3. One Diploma and one Certificate
4. Two Post Graduate Diplomas
5. Two Diplomas
6. Two Certificates

This is for information and adherence by all concerned.

(DIRECTOR)

To

VCs of all SOUs/ Heads of DEIs

3. The Registrar
YCMOU
Dnynagangotri, Near Gangapur Dam
Nashik-422 222,
MAHARASHTRA

परिशिष्ट 6 : जी.आर. के समकक्ष G.R. of Equivalency

मुक्त विद्यापीठाच्या पदव्यांना समकक्षता व शासनमान्यता

(१) अन्य विद्यापीठांच्या पदवीशी समकक्षता

मा. शिक्षण संचालक (उच्च शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य यांच्या पत्र क्र. समक (उ. शि.)/१०९४/३२८६१/मवि-१, दि. ३० ऑक्टोबर १९९५ च्या पत्रान्वये 'केंद्रीय किंवा राज्य विधिमंडळाने अधिनियमाद्वारे भारतातील विद्यापीठाने दिलेली पदवी/पदविका आणि संसदेने अधिनियमाद्वारे इतर शैक्षणिक संस्था प्रस्थापित केलेल्या आहेत किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम (१९५६) मधील कलम क्र. ३ अन्वये मानीव विद्यापीठे घोषित केली आहेत अशांच्या बाबतीत पदवी किंवा पदविका मान्यता देण्याबाबतचे औपचारिक आदेश विद्यापीठाने काढण्याची आवश्यकता नाही'.

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ हे महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाने अधिनियमाद्वारे (कायदा क्र. २०/१९८९) स्थापन केलेले विद्यापीठ असून त्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाचीही मान्यता आहे. **त्यामुळे या विद्यापीठाची पदवी इतर विद्यापीठांच्या पदवीशी समकक्ष आहे.**

(२) विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता

विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांनी त्यांचे पत्र क्र. F/S-15/89 (CPP-I) दि. ८ डिसेंबर १९९२ नुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १९५६ च्या कायद्यातील कलम १२-बी अन्वये यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठास मान्यता दिली आहे.

(३) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता

उपसचिव व परीक्षा नियंत्रक, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या पत्र क्र. १४७७ (१७/१९९४/कक्ष) **दि. १७ फेब्रुवारी १९९४ च्या पत्रातील मान्यतेसंबंधीचा मजकूर – 'यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ हे संविधिमान्य (Statutory) असल्यामुळे आपल्या विद्यापीठाच्या पदवीधर विद्यार्थ्यांकडून आलेले अर्ज देखील इतर मान्यताप्राप्त विद्यापीठांच्या पदवीधर उमेदवारांकडून आलेल्या अर्जांप्रमाणेच आयोगाकडून विचारात घेतले जातील'**

मुक्त विद्यापीठाच्या पदवी/पदविकांना महाराष्ट्र शासन मान्यता

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेली विद्यापीठे

राज्य सेवेतील पदांसाठी पदवी/पदविकास मान्यता

महाराष्ट्र शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

शासन निर्णय : क्रमांक आरजीडी-१३९४/प्र.क्र. २१/९४/१३,मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, दिनांक ८ मार्च १९९५

वाचा : (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आरजीडी-१०६१/१८९९७/११४ – जे दिनांक २१ ऑगस्ट १९६२

शासन निर्णय : महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाशी विचार विनिमय करून उपरोक्त दिनांक २१ ऑगस्ट १९६९ च्या आदेशाद्वारे असा निर्णय घेण्यात आला होता की, केंद्र अथवा राज्य विधिमंडळाच्या अधिनियमाद्वारे स्थापित झालेली विद्यापीठे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे स्थापन झालेल्या इतर शैक्षणिक संस्था, किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ च्या अंतर्गत भाग ३ अन्वये जाहीर झालेली मानवी विद्यापीठे यांनी प्रदान केलेल्या पदव्या / पदविका तसेच भारतीय वैद्यकीय मंडळ अधिनियम, १९५६ च्या परिशिष्टांमध्ये अंतर्भूत केलेल्या वैद्यकीय व संलग्न विषयामधील पदव्या यांना शासकीय महाविद्यालयातील अध्यापकीय पदे वगळता, **राज्यातील सेवा व पदांवरील भरतीसाठी आपोआप मान्यता प्राप्त झाली असल्याचे समजण्यात यावे.**

(२) सदर आदेशासोबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेल्या वैधानिक विद्यापीठे व संस्थांची यादी जोडण्यात आली होती. आयोग मान्यताप्राप्त विद्यापीठे व संस्था यांची अद्ययावत यादी आता या आदेशासोबत जोडण्यात आली आहे. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक आरजीडी – १०६१/१८९९७/११४/जे दिनांक २१ ऑगस्ट १९६९ मध्ये नमूद केलेल्या आणि वर परिच्छेद १ मध्ये उद्धृत केलेल्या हेतूसाठी सदर सर्व विद्यापीठे/संस्था यांनी प्रदान केलेल्या पदवी/पदविकांना आपोआप मान्यता देण्यात आल्याचे समजण्यात यावे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने

द्वा. र. रांगे
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,
(१) राज्यपालांचे सचिव
(२) मुख्य मंत्र्यांचे सचिव
(३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई
(४) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई
(५) महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, मुंबई
(६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई
(७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
(८) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई
(९) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई
(१०)प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई
(११)सर्व मंत्रालयीन विभाग
(१२)मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख
(१३)अवर सचिव, भारत सरकार, शिक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली
(१४)निवड नस्ती

टीप : महाराष्ट्र शासनाच्या उपरोक्त शासन निर्णय क्रमांक आर.जी.डी. १३९४/प्र.क्र.२१/९४/१३ मंत्रालय, मुंबई. दिनांक ८ मार्च १९९५ च्या सोबत जोडलेल्या यादीमध्ये यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक यांची अनुक्रमांक १४६ वर नोंद करण्यात आलेली आहे.

परिशिष्ट 7 : Letter of Recognition from UGC

APPENDIX 1

APPENDIX 1.1 : LETTER OF RECOGNITION FROM UGC

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110002.

NO. F.5-15/89 (OPP-I) December, 1992

The Secretary
Govt. of Maharashtra
Higher and Technical
Education and Employment Deptt.
Mantralaya Annexe
Bombay- 400032.

Sub : Recognition of Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, *Nashik for Central assistance under Section 12-B of the* UGC Act, 1956.

Sir,

With reference to the correspondence resting with your letter No. MOJ/ 63003 (241/92) UNI dated 11th November, 1992 on the above subject, I am to say that the University Grants Commission has agreed to declare the Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University Nashik established under Maharashtra State Act No. XX of 1989, fit to receive Central assistance for all purposes including Institutional development in terms of the rules framed under Section 12-B of the UGC Act, 1956.

The receipt of the letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd/xxx
(I J GUPTA)
JOINT SECRETARY

Copy to: -

1. The Vice - Chancellor, Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nashik-422005.
2. Secretary to the Govt. of India, Ministry of Human Resource Development (Deptt. of Education) New Delhi.
3. The Registrar, Indira Gandhi National Open University, Maidan Garhi, New Delhi- 110068.
4. The Secretary, Association of Indian Universities, 16, Kotla Marg, New Delhi- 110002.
5. *Desk Officer (Meeting) / S.O.FD-III/S.O.SU-II/S.S.O.-I, Stat, U.G.C. New Delhi.*
6. All Officers /Sections, UGC New Delhi.

Sd/-
(D. D. Mehta)
SECTION OFFICER

परिशिष्ट 8 : छात्र सहायता और छात्र कल्याण योजना

छात्र सहायता

विश्वविद्यालय द्वारा निम्न आय वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्र सहायता योजना लागू की गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने 15 लाख रुपये आवंटित किए है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रवेश पाठ्यक्रम की फीस दी जाती है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने एक निर्धारित मॉडल विकसित किया है और पात्र छात्रो को प्रवेश शुल्क मे छूट दी जाती है।

छात्र कल्याण योजना

छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए हर साल खेल और युवा उत्सव आयोजित किए जाते है। इसके अलावा छात्रों के बीच अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक शोध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है।

खेल महोत्सव

विश्व विद्यालय के छात्रों को खेल के मैदान उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय ने संभाग और विश्वविद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं शुरू की है। इससे खिलाडी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं मे भाग ले सकेंगे। मा. राज्यपाल कार्यालय द्वारा आयोजित इंटर विश्वविद्यालय अश्वमेध एवं ए. आय. यु. के खेल प्रतियोगिताओं में भी छात्र भाग ले सकते है।

युवा उत्सव

विश्वविद्यालय ने संभागीय और केंद्रीय स्तर पर युवा उत्सव शुरू किए है ताकि विश्वविद्यालय के कलात्मक छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। इस में वक्तृत्व प्रतियोगिताएँ, एकांकी, नृत्य संगीत, गायन जैसी प्रतियोगिताएँ होती है। मा. राज्यपाल के कार्यालय द्वारा आयोजित इंद्रधनुष और ए. आय. यु. (भारतीय विश्वविद्यालय संघ) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में कलाकार छात्र भाग ले सकते है।

अविष्कार

विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों के बीच अनुसंधान प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए, मा. राज्यपाल का कार्यालय हर साल एक वार्षिक अविष्कार अनुसंधान प्रतियोगिता आयोजित करता है। इस इंटर विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्सव में मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र भी भाग ले सकते है।

संवाद पत्रिका

राज्यभर में फैले मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय मासिक रूप में संवाद पत्रिका प्रकाशित करता है। इस में छात्रों के लिए उपयोगी सुचना, लेख सुझाव शामिल है। पत्रिका का उद्देश छात्रों को दूरुस्थ शिक्षा के बारे में अध्ययन करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। संवाद पत्रिका वेबसाईट पर पढ़ने के लिए उपलब्ध है।

आभासी कक्षा

छात्रों को उपग्रह के माध्यम से सीखने में सक्षम बनाने के लिए विश्वविद्यालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इस्रो) भारत सरकार, अहमदाबाद की मदद से उपग्रह चैनल एज्युसॅट के माध्यम से एक दूरस्थ शिक्षा परियोजना सुरू की है। इस परियोजना के तहत राज्य में कुल 40 व्हर्च्युअल लर्निंग सेंटर स्थापित किए गए है। इसके जरिए सीधे संपर्क किए जाते है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

पारंपारिक विश्वविद्यालय की तरह 1500 मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू की गई है।

निम्नलिखित छात्रों को शुल्क में छूट दी जाती है

1) नेत्रहीन, विकलांग, मूक-बधीर, बधीर छात्र (देखें परिशिष्ट 3)।
2) विश्वविद्यालय और उनके परिवारों के नियमित वेतनमान कर्मचारी (स्वयं की पत्नी/ पति, दो से अधिक आश्रित बच्चे नहीं)।
3) पिछडा वर्ग (सरकारी नियमों के अधीन) छात्र।

उपरोक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को संपूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान करके प्रवेश दिया जाना चाहिए। उसके बाद विश्वविद्यालय/सरकार के नियमों के अनुसार शुल्क माफी की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। शुल्क की पूर्ति संबंधित को विश्वविद्यालय/सरकार के नियमानुसार की जाएगी।